

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 25/2015 वैवाहिक

राजकुमार प्रजापति पुत्र मातादीन प्रजापति आयु
28 वर्ष निवासी बार्ड नं017 गोहद चौक जिला
भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती ज्योति पुत्री दिनेश प्रजापति पत्नी
राजकुमार आयु 25 वर्ष निवासी बार्ड नं017
गोहद चौराहा हाल निवासी इमली नामा सिकन्दर
कम्पू जैन मंदिर के पास ग्वालियर

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री उदलसिंह गुर्जर अधिवक्ता
अनावेदिका एकपक्षीय

//नि र्ण य//
// आज दिनांक 18-01-2016 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका/गैरयाचिकाकर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी होने के आधार पर उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की याचना की गई है।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह करीब पांच वर्ष पूर्व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था । इस प्रकार आवेदक की अनावेदिका विवाहिता पत्नी है तथा विवाह के बाद आवेदक अनावेदिका

पत्नी के रूप में वार्ड नं.17 गोहद चौराहा में सुखपूर्वक रहे हैं । दिनांक 8-5-15 को सुबह 10,11 बजे की बात है वह सुबह 9 बजे अपनी जनरल स्टोर की दुकान पर चला गया तथा उसके पिता गल्ला के व्यवसाय हेतु अन्य गांव चले गये थे तथा उसकी मां बहन मंदिर दर्शन के लिये भिण्ड चली गयी थी। घर पर अनावेदिका एवं आवेदक की वहिन पंकी रह गई थी। इसी दौरान अनावेदिका के द्वारा अपने पिता को इस बात की सूचना दी कि घर पर कोई नहीं है। अनावेदिका घर में रखे हुये सोने के जेवर 10 तोला तथा आवेदक के पिता की अलमारी में रखे हुये दो लाख रुपये निकाल कर अपने पिता के साथ चली गयी। उसकी वहन पंकी के रोकने पर वह धक्का देकर जबरदस्ती अपने पिता के साथ चली गई। उसकी वहिन पंकी ने उसे एवं उसके पिता को घटना की सूचना दी तब आवेदक व उसके पिता घर आये तो देखा घर पर रखे सोने की चार चूड़ी, एक हार सोने का, चार अंगूठी, मंगलसूत्र, बेंदा, सोने की जंजीर एवं चांदी की पायल बजनी 500 ग्राम, करधोनी चांदी की बजनी 500 ग्राम चांदी के कड़े बजनी 400 ग्राम नहीं मिले जिसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस गोहद चौराहे को दी । दिनांक 8-5-15 को 1 बजे अनावेदिका के घर सिकन्दर कम्पू गया और उसने सोने चांदी के आभूषण एवं दो लाख रुपये बिना पूछे बताये लेकर चली आई तो अनावेदिका के द्वारा कहा गया कि उक्त सामान व रूपया उसका है वह एक दो दिन बाद अपने आप गोद चौराहा आ जायेगी ।

03. आवेदक ने अपने आवेदनपत्र में यह भी बताया है कि आवेदक एवं अनावेदिका के संसर्ग से एक पुत्री कु0 उर्वसी का जन्म हुआ जो करीबन साडे तीन वर्ष की है तथा चार माह का गर्भ भी है । आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों का अनावेदिका को अच्छी तरह से रखा गया है और सभी इच्छाओं की पूर्ति की गयी है । अनावेदिका चंचल एवं घूमने फिरने की शौकीन है आये दिन ग्वालियर जाने की जिद करती रहती है । आवेदक द्वारा अनावेदिका को कई बार समझाया गया तो भी उसकी आदतों में सुधार नहीं आया । दिनांक 10-5-15 को पुनः अनावेदिका को लेने ग्वालियर गया तो अनावेदिका व उसके पिता द्वारा धोंस दी कि चुप चाप यहां से चले जाओ हम अपनी लडकी को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे और धमकी दी कि तुम्हारे विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर देंगे । दिनांक 13-5-15 को अनावेदिका को पुनः लेने ग्वालियर गया तो अनावेदिका ने आने से स्पष्ट इन्कार कर दिया जिससे वह जानबूझकर पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है और दाम्पत्य सुखों से आवेदक को बंचित किये हुये है । आवेदक के साथ अनावेदिका वार्ड नं017 गोहद चौराहा जिला भिण्ड में निवास किया था इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्ग होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

04. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा जारी रजिस्टर्ड नोटिस की तामीली उपरांत उसके द्वारा एक आवेदनपत्र न्यायालय में डॉक से प्रकरण को निरस्त किये जाने बावत् भिजवाया गया। आवेदिका न तो स्वतः उपस्थित हुई और न ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसे अवसर दिए जाने के उपरांत दिनांक 15-12-15 को उपस्थित नहीं रही जिस कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

05. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक आवेदिका से वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

06. अनावेदिका के आवेदक की विवाहिता पत्नी होने का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में आवेदक राजकुमार के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने शपथपत्र में अनावेदिका को उसकी विवाहिता पत्नी होना बताया है, जिसका समर्थन अन्य साक्षी रामबीर अ0सा0 2 व राजेश अ0सा0 3 के कथन से भी होता है। इस संबंध में अनावेदिका ज्योती के द्वारा भी न्यायालय को भेजे गए आवेदनपत्र में भी अपने पति आवेदक को होना स्वीकार किया है। इस प्रकार अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट होता है।

07. याचिकाकर्ता/आवेदक की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं राजकुमार साक्षी कं01 का तथा रामवीर आ.सा. 2 एवं राजेश आ.सा.कं.3 के शपथपत्र पेश किए हैं। आवेदक राजकुमार के द्वारा अपने शपथपत्र में दिए गए साक्ष्य में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि विवाह के उपरांत आवेदक अनावेदिका पत्नी के रूप में वार्ड नं.17 गोहद चौराहा में आवेदक के साथ रही। आवेदक एवं अनावेदिका के संसर्ग से एक पुत्र कु0 उर्वसी का जन्म हुआ जो करीबन साढ़े तीन वर्ष की है तथा चार माह का गर्भ भी है। आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों का अनावेदिका को अच्छी तरह से रखा गया है और सभी इच्छाओं की पूर्ति की गयी है। दिनांक 8-5-15 को सुबह 10, 11 बजे की बात है वह सुबह 9 बजे जनरल स्टोर की दुकान पर चला गया तथा उसके पिता गल्ला के व्यवसाय हेतु अन्य गांव चले गये थे तथा उसकी मां बहिन संतोषी माता भिण्ड दर्शन के लिये चली गयी थी। घर पर अनावेदिका एवं आवेदक की वहिन पिकी रह गई थी। अनावेदिका के द्वारा अपने पिता को सूचित किया गया और घर में रखे हुए सोने चाँदी के जेबरात तथा दो लाख रूपए नगद जो कि आवेदक के पिता के द्वारा अलमारी में रखे हुए थे उन्हें लेकर वह अपने पिता के साथ चली गई। उसकी बहन पिकी के द्वारा मना करने पर उसे धक्का देकर जबरदस्ती चली

गई। आवेदक की बहन पिकी ने उसे एवं उसके पिता को घटना की सूचना दी।

08. आवेदक ने अपने कथन में आगे बताया है कि आवेदक व उसके पिता घर आये तो देखा घर पर रखे सोने की चार चूड़ी, एक हार सोने का, चार अंगूठी, मंगलसूत्र, बेंदा, सोने की जंजीर एवं चांदी की पायल बजनी 500 ग्राम, करधोनी चांदी की बजनी 500 ग्राम चांदी के कड़े बजनी 400 ग्राम नहीं मिले जिसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस गोहद चौराहे को दी। अनावेदिका अपने साथ उसकी पुत्री उर्वशी को भी अपने साथ ले गयी। दिनांक 8-5-15 को 1 बजे अनावेदिका के घर सिकन्दर कम्पू गया और उसने सोने चांदी के आभूषण एवं दो लाख रुपये बिना पूछे बताये लेकर चली आई तो अनावेदिका के द्वारा कहा गया कि उक्त सामान व रुपया उसका है वह एक दो दिन बाद अपने आप गोद चौराहा आ जायेगी। अनावेदिका चंचल एवं घूमने फिरने की शौकीन है आये दिन ग्वालियर जाने की जिद्द करती रहती है। आवेदक द्वारा अनावेदिका को कई बार समझाया गया तो भी उसकी आदतों में सुधार नहीं आया। दिनांक 10-5-15 को पुनः अनावेदिका को लेने ग्वालियर गया तो अनावेदिका व उसके पिता द्वारा धमकी दी कि चुप चाप यहां से चले जाओ हम अपनी लडकी को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे और धमकी दी कि तुम्हारे विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर देंगे। दिनांक 13-5-15 को अनावेदिका को पुनः लेने ग्वालियर गया तो अनावेदिका ने आने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।

09. आवेदक के द्वारा किए गए उपरोक्त कथन में उसके घर से सोने चाँदी के जेवर और दो लाख रुपए की नगदी ले जाने का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में न तो कोई भी रिपोर्ट पुलिस को की जानी बताई गई है उसे प्रमाणित किया है और न ही आवेदक की बहन पिकी जो कि उस समय घर में मौजूद होना बताई गई है उसके भी कथन कराए गए हैं। जेबरात एवं नगदी के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण भी पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में जेबरात एवं नगदी आवेदिका के द्वारा अपने साथ ले जाने के संबंध में आवेदक का किया गया कथन मात्र उसके एवं उसकी ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षियों रामबीर अ0सा0 2 और राजेश अ0सा0 3 के शपथपत्रों के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

10. आवेदक के द्वारा किए गए शेष कथन कि अनावेदिका बिना कारण के उसके घर से चली गई है और लेने हेतु जाने पर भी वह उसके साथ नहीं आ रही है, इस बिन्दु पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार जबकि उक्त संबंध में कोई भी प्रतिपरीक्षण आवेदक का नहीं हुआ है उसके इस संबंध में किए गए कथन अखण्डनीय रहे हैं। इस बिन्दु पर उसके द्वारा किए गए कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

11. आवेदक राजकुमार अ0सा0 1 के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि आवेदक की

ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामवीर आ.सा. 2, राजेश आ.सा.3 के कथनों से भी आवेदक के द्वारा अनावेदिका के उसे छोड़कर उसे घर से चले जाने और उसके बुलाने पर न आने के संबंध में किया गया कथन की सम्पुष्टि हुई है। इस संबंध में उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे हैं। यद्यपि रुपये एवं जेवर के संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण न होने के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में किया गया कथन दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया जाता। किन्तु शेष तथ्य के संबंध में साक्षी को विश्वास योग्य माना जाता है।

12. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें आवेदक राजकुमार का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षी रामवीर आ.सा. 2 तथा राजेश आ.सा.3 के कथनों से भी होती है। उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से बंचित किए हुए है।

13. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, वह स्वयं एवं अपनी नावालिक पुत्री के साथ आवेदक के पास पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

2-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।

3-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची मुताविक या प्रमाणपत्र के अनुसार जो भी कम हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञा पारित की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड